न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

म्यूटेशन अपील संख्या : 17/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022/15

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. देवीसिंह पुत्र श्री रुपसिंह जाति राजपूत निवासी कांकलवास, तहसील देसूरी, जिला पाली राज.		1. केशरकंवर पत्नी श्री रुपसिंह 2. गीठूकंवर पुत्री श्री रुपसिंह 3. संतोषकंवर पुत्री श्री रुपसिंह 4. सुरजकंवर पुत्री श्री रुपसिंह 5. केसीबाई पत्नी श्री जवानसिंह 6. नाहरसिंह पुत्र श्री जवानसिंह 7. रेवतसिंह पुत्र श्री जवानसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण कांकलावास, तहसील देसूरी, जिला पाली राज. 8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी जिला पाली राज.

नामान्तरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 199 जो तहसीलदार देसूरी द्वारा दिनांक 13.04.2022 को स्वीकृत किया गया।

–: निर्णयः–

दिनांकः 14.02.2024

उपस्थिति : वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट श्री देवीसिंह पुत्र श्री रुपसिंह राजपूत निवासी कांकलावास तहसील देसूरी ने एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बखिलाफ नामान्तरकरण संख्या 199 जो तहसीलदार देसूरी द्वारा दिनांक 13 अप्रेल 2022 को स्वीकृत किया गया के विरुद्ध प्रस्तूत की। प्रस्तूत अपील अनुसार ग्राम कांकलावास पटवार मंडल बागोल तहसील देसूरी में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि आयी हुई है जिसमें अपीलांट का 1/135 हिस्सा दर्ज है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट पूर्व खातेदार स्वर्गीय रुपसिंह के विधिक वारिसान है। रुपसिंह का निधन दिनांक 20.09.2021 को हो चुका है। खातेदार के निधन उपरांत नामान्तरकरण संख्या 199 दिनांक 13 अप्रेल 2022 को स्वीकार किया गया था जिसमे त्रूटीवश अपीलांट का नाम देवीसिंह के स्थान पर देवेन्द्रसिंह दर्ज कर दिया गया। राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज होने से अपीलांट को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एवं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित होना पड़ रहा है। अतः प्रार्थना है कि अपील स्वीकार फरमाई जावें तथा ग्राम कांकलावास का नामान्तरकरण संख्या 199 को शूद्ध करने हेतु आदेशन प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोड़ेंट्स को नोटीस जारी किए गए। प्रत्युतर में अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने जवाब प्रस्तुत करते हुए अपील के तथ्यों को सही होना स्वीकार किया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अपील प्रार्थना पत्र, रेस्पोडेंट्स का जवाब इत्यादि का गहन अवलोकन कर अध्ययन किया एवं यह पाया कि नामान्तरकरण संख्या 199 में अपीलांट्स का नाम गलत दर्ज करने से उसे कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः ग्राम कांकलावास तहसील देसूरी के नामान्तरकरण संख्या 199 दिनांक 13 अप्रेल 2022 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार देसूरी को निर्देशित किया जाता है कि मृतक खातेदार रुपसिंह के विधिक वारिसान की जांच कर सहीं नामान्तरकरण दर्ज करें। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड वापिस भिजवाया जावें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

14/2/24

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

CamScanner